न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 96/2012/अपील

दुर्गाराम पुत्र मोतीराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम पिपराली, तहसील व जिला सीकर।
अपीलान्ट

बनाम

1.	गोपाल पुत्र नन्दा	समस्त जाति मीणा, निवासी पिपराली, तहसील व जिला सीकर (राज.)
2.	मन्नी देवी बेवा नन्दा	
3.	अशोक पुत्र मांगीलाल	
4.	महेन्द्र पुत्र मांगीलाल	
5.	परमेश्वरी देवी पत्नी मांगीलाल (फौत)	
6.	मोहन पुत्र नाथू	
7.	बीरबल पुत्र नाथू	
8.	रतन पुत्र नाथू	
9.	मूलीदेवी पत्नी नाथू (फौत)	
10.	धन्ना पुत्र रामनाथ (फौत)	
11.	नागर पुत्र लिक्षमण (फौत)	
12.	भोलूराम पुत्र गुमाना	
13.	सुरेश पुत्र गुमाना	
14.	सन्तरा देवी पत्नी गुमाना	
15.	रामेश्वर पुत्र लिक्षमण	
16.	दीपा पुत्र लिक्षमण	
17.	पूर्णमल वयस्क पुत्र लिक्षमण (फौत)	
18.	तहसीलदार, सीकर	

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः–

1. श्री लक्ष्मण सिंह सुण्डा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री भंवर लाल बिजारणियां अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 03.09.2012 अन्तर्गत धारा 225 राज.टिनेन्सी एक्ट द्वारा तहसीलदार, सीकर

जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

सुनवाई दिनांक : 05 फरवरी, 2018 निर्णय दिनांक: 20 फरवरी, 2018

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि:–

(1) रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 से 17 ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय तहसीलदार सीकर के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 से 17 के खातेदरी की भूमि खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.49 है. तन पिपराली स्थित है, जिसके पुराने खसरा नम्बर 295 मी. रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 324 रकबा 19 बिस्वा थे। जिसके वर्तमान में खातेदार रेस्पोडेन्टस् तथा उनसे पहले उनके पूर्वज थे। अपीलांट जो पड़ौसी है को भूमि खसरा नम्बर 1122 सम्वत् 2067 में काश्त के लिए बटाई पर बतायी थी। सम्वत् 2067 में अपीलांट ने पुनः काश्त हेतु बांटे पर लेनी चाही जिसे रेस्पोन्टस् संख्या 1 से 17 ने बांटे पर देने से मनाह कर दिया लेकिन अपीलांट ने मौका पाकर पुनः काश्त कर ली तथा एक नया छप्पर भी पूर्व में बने दो छप्परों के पास पशुधन हेतु बना लिया, जिस पर रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 से 17 द्वारा उलाहना देने पर अपीलांट ने बताया कि उसने तो जबरन कब्जा कर लिया है और वह भी इसकी निराई व लाट बाट करेगा व कभी भी यह खेत खाली नहीं करेगा आदि उल्लेख कर आवेदन किया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय से रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 से 17 के आवेदन का नोटिस प्राप्त होने पर अपीलांट ने जवाब इस आशय का पेश किया कि सम्वत् 2024 से आज तक रेस्पोडेन्टस् का कोई कब्जा नहीं रहा। अपीलांट के पिता मोतीराम की मृत्यु के कब्जा काश्त अपीलांट का चला आ रहा है तथा अपीलांट ने तीन कच्चे मकानात झुंपे व छप्पर आदि बना रखे हैं व परिवार सहित रह रहा है। सम्वत् 2067 में बटाई पर काश्त हेतु भूमि लेने से इन्कार किया व उल्लेख किया कि रेस्पोडेन्टस् के पूर्वजों में से महादेव उर्फ मादूराम के सम्वत् 2042 में विवादित भूमि को 2300/– रूपये में अपीलांट के पिता मोतीराम को विक्रय कर कब्जा दे दिया था। तब से अपीलांट के पूर्वज के समय से ही अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है, जिसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं।

जिला कलक्टर, सीकर

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का जवाब प्राप्त होने पर रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 से 17 के साक्ष्य में शपथ पत्र लिये जिनसे अपीालंट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत का मौका दिये ही सारी कार्यवाही गोपनीय ढंग से दिनांक 26.07.2012 को निश्चित की गई आगामी पेशी के अलावा अन्य तारीख पेशी में पत्रावली रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.09.2012 को अपना पारित कर दिया।

(3) विवादित आराजी के संबंध में अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्टस् के विरूद्व किया गया नियमित राजस्व वाद दुर्गाराम बनाम गोपाल आदि सक्षम न्यायालय में सबज्युडिस होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही अन्तर्गत धारा 183बी राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत जैर अपील निर्णय पारित कर दिया।

(4) रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 से 17 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने स्वयं के किसी भी गवाह ने बयान नहीं करवाये हैं तथा केवल कुछ व्यक्तियों के साक्ष्य में झुठे शपथ पत्र प्रस्तुत करवाये हैं, जो न तो विवादित आराजी को जानते हैं और ना ही पड़ौसी हैं। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टस् के गवाहान से जिरह करने की इजाजत चाही थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया व रेस्पोडेन्टस् के गवाहान से जिरह करने की इजाजत नहीं दी।

(5) रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 से 17 का कब्जा सम्वत् 2024 से आज तक कभी नहीं रहा व अपीलांट के पिता मोतीराम का कब्जा सम्वत् 2024 से निरन्तर रेस्पोडेन्टस् की जानकारी में चला आ रहा है। अपीलांट के पिता ने सम्वत् 2042 में विवादित भूमि महादेव उर्फ महादू से 2300/— रूपये में क्रय की थी। अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद व उसके जीवनकाल से अपीलांट का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 से 17 का आवेदन अवधि बाहर होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसे खारिज न कर स्वीकार किया गया।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.09.2012 को निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 से 17 का आवेदन अन्तर्गत धारा 183बी राज. टि. एक्ट खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भंवर लाल बिजारणियां उपस्थित आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 से 17 का कब्जा सम्वत् 2024 से आज तक कभी नहीं रहा व अपीलांट के पिता मोतीराम का कब्जा सम्वत् 2024 से निरन्तर रेस्पोडेन्टस् की जानकारी में चला आ रहा है। अपीलांट के पिता ने सम्वत् 2042 में विवादित भूमि महादेव उर्फ महादू से 2300/- रूपये में क्रय की थी। अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद व उसके जीवनकाल से अपीलांट का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। विवादित आराजी के संबंध में अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्टस् के विरूद्व किया गया नियमित राजस्व वाद दुर्गाराम बनाम गोपाल आदि सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही अन्तर्गत धारा 183बी राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत जैर अपील निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.09.2012 को निरस्त कर रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 से 17 का आवेदन अन्तर्गत धारा 183बी राज. टि. एक्ट खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. वकील रेस्पोडेन्टस् ने अभिकथन किया कि अपीलांट ने सम्वत् 2024 से कब्जा होने बाबत कोई साक्ष्य/सबूत पेश किया नहीं है, ना ही विवादित भूमि महादेव उर्फ महादू से क्रय किये जाने बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। रेस्पोडेन्टस् के पूर्वजों द्वारा अपीलांट के पूर्वज को उक्त भूमि बटाई पर दी गई थी। जिस पर प्रार्थी द्वारा जबरन कब्जा कर कच्चे मकान/छप्पर बना लिये, जिस पर तहसीलदार द्वारा अवैध कब्जा पाये जाने पर धारा 183बी के तहत बेदखली की आज्ञा जारी की गई है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की मृत्यु 05.06.2013, रेस्पो. संख्या 11 की मृत्यु 17.02.2013, रेस्पो. संख्या 10 की मृत्यु 15.04.2014 एवं रेस्पो. संख्या 17 की मृत्यु 21.11.2017 को रेस्पो. संख्या 9 की मृत्यु 14.12.2017 को हो जाने के पश्चात भी आदिनांक तक इनके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे अपील कानूनन अवैट हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(1) मुताबिक जमाबन्दी ग्राम पिपराली, तहसील व जिला सीकर सम्वत् 2012 से 2015 तक, खसरा नम्बर 324, क्षेत्रफल 19 बिस्वा, बारानी सोयम, **रामनाथ पुत्र जवाना, लिक्षमण पुत्र लादू, जाति मीना** आदि के नाम खातेदारी में दर्ज है।

(2) मुताबिक जमाबन्दी ग्राम पिपराली, तहसील व जिला सीकर सम्वत् 2015 से 2018 तक, खसरा नम्बर 324, क्षेत्रफल 19 बिस्वा, बारानी सोयम, **रामनाथ पुत्र जवाना, जाति मीना आदि** के नाम खातेदारी में दर्ज है।

(3) मुताबिक जमाबन्दी ग्राम पिपराली, तहसील व जिला सीकर सम्वत् 2018 से 2021 तक, खसरा नम्बर 324, क्षेत्रफल 19 बिस्वा, बारानी सोयम, **रामनाथ पुत्र जवाना, नारू पुत्र नानगा, जाति मीणा** आदि के खातेदारी में दर्ज है।

(4) मुताबिक जमाबन्दी ग्राम पिपराली, तहसील व जिला सीकर सम्वत् 2026 से 2029 तक, खसरा नम्बर 324, क्षेत्रफल 19 बिस्वा, बारानी सोयम, **नन्दा, धन्ना पुत्र रामनाथ तथा लिक्षमण पुत्र लादू, जाति मीणा** आदि के नाम खातेदारी में दर्ज है।

(5) मुताबिक जमाबन्दी ग्राम पिपराली, तहसील व जिला सीकर सम्वत् 2034 से 2037 तक, खसरा नम्बर 324, क्षेत्रफल 19 बिस्वा, बारानी सोयम, **नन्दा, धन्ना पुत्र रामनाथ तथा लिक्षमण पुत्र लादू जाति मीणा** आदि के नाम खातेदारी में दर्ज है।

(6) मुताबिक जमाबन्दी ग्राम पिपराली, तहसील व जिला सीकर सम्वत् 2046 से 2049 तक, खसरा नम्बर 1122, क्षेत्रफल 0.49 है., बारानी द्वितीय, **नन्दा, धन्ना पुत्र रामनाथ तथा नागर, गुमान, रामेश्वर, दीपा, पिसरान, लिक्षमण, गुलाबी बेवा लिक्षमण, जाति मीणा** आदि के नाम खातेदारी में दर्ज है।

(7) मुताबिक जमाबन्दी ग्राम पिपराली, तहसील व जिला सीकर सम्वत् 2050 से 2053 तक, खसरा नम्बर 1122, क्षेत्रफल 0.49 है., बारानी द्वितीय, **नन्दा, धन्ना पुत्र रामनाथ तथा नागर, गुमान, रामेश्वर, दीपा, पिसरान, लिक्षमण, गुलाबी बेवा लिक्षमण, जाति मीणा** आदि के नाम खातेदारी में दर्ज है।

(8) मुताबिक जमाबन्दी ग्राम पिपराली, तहसील व जिला सीकर सम्वत् 2054 से 2057 तक, खसरा नम्बर 1122 क्षेत्रफल 0.49 है. बारानी द्वितीय **गोपाल पुत्र नन्दा** के नाम खातेदारी में दर्ज है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, सीकर

(9) मुताबिक जमाबन्दी ग्राम पिपराली, तहसील व जिला सीकर सम्वत् 2066 से 2069 तक, खसरा नम्बर 1122 क्षेत्रफल 0.49 है. बारानी द्वितीय **गोपाल पुत्र नन्दा** के नाम खातेदारी में दर्ज है।

(10) मुताबिक मिलान क्षैत्रफल गत खसरा नम्बर 295 व 324 रकबा 19 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.49 है. कायम हुये हैं।

(11) अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में दर्ज वाद संख्या **183/12** के सम्बन्ध में हुए निर्णय बाबत भी इस न्यायालय को अवगत नहीं कराया है।

7. वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया, जो प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलांट की ओर से कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.49 है. तन पिपराली स्थित है, जिसके पुराने खसरा नम्बर 295 मी. रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 324 रकबा 19 बिस्वा थे, की खातेदारी अपीलांट या उसके पूर्वजों के नाम से है। अतः अपील अपीलांट साक्ष्य/सबूत के अभाव में **खारिज** की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक : २० फरवरी, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official